पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 1211

Date /दिनांक: 11/01/2024

संचिका सं0– P/DHANAUT/PRN-G+3/408/2021
(ऑटो मैप सं०–PMC-BPAS-00981/2021/BP)

सेवा में,

(1) SRI MANOHAR RAI S/O-LATE RAMRUP RAI
(2) SRI KRISHNA PRASAD S/O-LATE RAMGATI RAI
(3) SRI PANCHHI RAI S/O-LATE RAMGATI RAI
(4) SRI SHARMA RAI S/O-LATE RAMGATI RAI
ADD.-MAHUABAGH ,P.S.-RUPASPUR, PATNA.

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P/DHANAUT/PRN-G+3/408/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC-BPAS-00981/2021/BP की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या–P/DHANAUT/PRN-G+3/408/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या– PMC-BPAS-00981/2021/BP के संदर्भ में (1) SRI MANOHAR RAI, S/O-LATE RAMRUP RAI (2) SRI KRISHNA PRASAD, S/O-LATE RAMGATI RAI (3) SRI PANCHHI RAI, S/O-LATE RAMGATI RAI (4) SRI SHARMA RAI, S/O-LATE RAMGATI RAI, ADD.-MAHUABAGH ,P.S.-RUPASPUR, PATNA. पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित ..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ..... सर्वे प्लॉट–2486, खाता नं०–236, थाना नं०–20, मौजा–DHANAUT, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **421.87 वर्ग मीटर** का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.12 मीटर से 6.15 मीटर** चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **अतिरिक्त भू–पट्टी–3.19 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.